

पत्रांक :- BMSICL/40015/02-2018/9385

दिनांक- 10/01/2025

सूचना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 823(अ) दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 96 में संशोधन करते हुए उप-नियम अंतः स्थापित किया गया है, जिसके अनुसार में औषधि विनिर्माता द्वारा Schedule H2 वाले उत्पादों (औषधि) के प्राथमिक पैकेजिंग लेवल पर या प्राथमिक पैकेज लेवल में अपर्याप्त स्थान के मामले में, द्वितीयक पैकेज लेवल पर बार कोड या त्वरित प्रतिक्रिया कोड को प्रिंट अथवा या चिपकाया जाना अनिवार्य किया गया है।

2. औषधियों के पैकेज लेवल पर अंकित Bar Code के माध्यम से संग्रहित डाटा/सूचना में निम्नलिखित विवरण आवश्यक रूप से समाहित किया जाना है:-

- (i) औषधि का उचित और जेनेरिक नाम (Proper and generic name of the drug)
- (ii) निर्माता का नाम और पता (Name and address of the manufacturer)
- (iii) बैच संख्या (Batch number)
- (iv) निर्माण की तिथि (Date of manufacturer)
- (v) तिथिवाद अथवा अवसान की तिथि (Date of expiry)
- (vi) Drug/ Medical Devices/Consumables/ Reagents Code

3. विदित हो कि BMSICL के Bid Document के क्रमांक 23(h) The drugs shall also be supplied with bar coding conditions के अनुसार भी उक्त नियम का अनुपालन दर अनुबंधित निर्माता संस्थानों से कराया जाना आवश्यक है, जो अनुसूची ज-2 (Schedule H2) वाले औषधियों के अतिरिक्त अन्य सभी दर अनुबंधित औषधियों पर भी प्रभावी होगा।

4. उल्लेखनीय है कि Bar Code न सिर्फ औषधियों का प्रमाणीकरण (Authentication) सुनिश्चित करता है बल्कि त्वरित और सटीक डेटा प्रविष्टि की सुविधा भी प्रदान करेगा। बार-कोड स्कैनिंग से औषधि वितरण के दौरान ड्रग डिस्ट्रिब्यूशन काउन्टर (DDC) पर मैन्युअल डाटा इन्ट्री में लगने वाला समय कम हो जाता है एवं औषधि वितरण अधिक सुगम हो जायेगा। डेटा प्रोसेसिंग में यह दक्षता Patient Safety सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन्वेंट्री प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला को भी सुदृढ़ करता है।

5. अतः निदेशित किया जाता है कि BMSICL में आपूर्ति करने वाले सभी फर्मों को औषधियों के प्राथमिक पैकेजिंग लेवल पर अथवा अपर्याप्त स्थान के मामले में द्वितीयक पैकेज लेवल पर Bar Code (त्वरित प्रतिक्रिया कोड) प्रिंट/चस्पा कराने की दिशा में समुचित कार्रवाई की जाय अन्यथा अनुपालन नहीं करने पर औषधि/ सामग्री निगम के भंडार गृह में स्वीकार्य नहीं की जाएगी अथवा निविदा शर्त के अन्तर्गत में दण्डात्मक कार्यवाई की जाएगी।

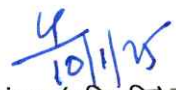

महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)

ज्ञापांक :- BMSICL/40015/02-2018/9385

दिनांक- 10/01/2025

प्रतिलिपि:-

1. सभी निविदादाताओं को सूचनार्थ एवं अनुपलानार्थ हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सादर सूचनार्थ।


महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)

